


24/2/2026



अधिवक्ता अपीलान्त इवारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली
तलब करमाने पर आप-पत्रावली पेश हुई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र बाबत
अपील परिए विडोल खारिज करमाने हेतु पेश कर
निवेदन किया कि अपीलान्त एवं रेस्पोंडेंट्स के बीच
लोक अक्षत की भावना से शजीनामा हो चुका है तथा
अपीलान्त अपनी अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं
तथा परिए विडोल खारिज करवाना चाहते हैं।

हमने अपीलान्त इवारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
का अवलोकन किया। न्यायदिव में प्रार्थना पत्र स्वीकार
कर अपील परिए विडोल खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दायित्व
दफ्तर हो।


अधिवक्ता अपीलान्त प्राधिकारी